डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

सतीश चन्द पुत्र मांगीलाल जाति महाजन निवसी बैरोज तहसील टोडाभीम जिला करौली
(वादी)

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र कल्याण प्रसाद महाजन निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम।
2. सुरेश चन्द पुत्र कल्याण प्रसाद
3. महेश चन्द पुत्र कल्याण प्रसाद
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र कल्याण प्रसाद
   जातियान महाजन निवासी बैरोज तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5. कम्पूरी देवी पत्नि स्व0 श्री प्यारेलाल मीना निवासी बैरोज तहसील टोडाभीम।
6. पंजाब नेशनल बैक शाखा टोडाभीम जिला करौली।
7. बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट।
8. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 33/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादी सतीशचन्द पुत्र मांगीलाल जाति महाजन निवासी बैरोज राहिन बी.ओ.बी. शाखा बालघाट को ग्राम बैरोज की आराजी ख0न0 544/0.64, 546/1/0.51 कुल किता 2 कुल रकवा 1.15 है0 का, प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र कल्याण प्रसाद हिस्सा 2/5 राहिन पी. एन.बी. शाखा टोडाभीम, महेशचन्द, राजेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द पि0 कल्याण प्रसाद हिस्सा 3/5 जाति महाजन निवासी बेरोज को ख0न0 544/1/0.38, 546/0.35, 546/2/0.13 कुल किता 3 कुल रकवा 0.86 है0 का, प्रतिवादी कम्पूरी देवी पत्नि प्यारेलाल जाति मीना निवासी बैरोज राहिन बी.आर.के.जी.बी शाखा पदमपुरा को ख0न0 546/3/0.57 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा ओम प्रकाश पुत्र कल्याण प्रसाद हिस्सा 2/15, प्रहलाद पुत्र कजोडमल हिस्सा 2/9, महेशचन्द, राजेश कुमार पि0 कल्याण प्रसाद हिस्सा 2/15, सुरेश चन्द पुत्र कल्याण प्रसाद हिस्सा 1/15, सतीश चन्द पुत्र मांगीलाल हिस्सा 4/9 को ख0न0 545/0.04 किस्म गै0मु0 चाह का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जेकाश्त की आराजीयात मे मजाहमत–मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा।

निज.................... मुबलिंग.......................... बाबत.......................... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.02.2020 को जारी की गई।

दस्तखत... उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)
ओहदा..........................

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:–08.3.18

33/18

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

श चन्द पुत्र मांगीलाल जाति महाजन निवसी बैरोज तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र कल्याण प्रसाद महाजन निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम।
सुरेश चन्द पुत्र कल्याण प्रसाद
महेश चन्द पुत्र कल्याण प्रसाद
राजेन्द्र कुमार पुत्र कल्याण प्रसाद
जातियान महाजन निवासी बैरोज तहसील टोडाभीम जिला करौली।
. कम्पूरी देवी पत्नि स्व0 श्री प्यारेलाल मीना निवासी बैरोज तहसील टोडाभीम।
. पंजाब नेशनल बैक शाखा टोडाभीम जिला करौली।
. बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट।
8. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188, 53

उपस्थिति:– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (वादीगण)
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादीगण 1 ता 4)

दिनांक:–11.02.2020

निर्णय

वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बैरोज स्थित आराजीयात ख0न0 /1.02, 545/0.04 किस्म गै0मु0 कुंआ, 546/1.56 कुल किता 3 कुल रकवा 2.62 है0 मे वादी का /9 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 1 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी न0 2 ता 4 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी 5 का 2/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात पूर्व खातेदार शिम्भूदयाल त्र रामसहाय ने अपने 1/6 हिस्से मे से जरिये इकरारनामा दिनांक 24.3.12 को 1,25,000/– मे 100रू स्टाम्प पर अपने 1/6 हिस्से मे से 1/9 हिस्से को वादी का विक्रय कर मौके पर कब्जा करा दिया या, लेकिन शिम्भूदयाल के मरने के पश्चात शिम्भूदयाल के हिस्से की आराजीयात का नामांतकरण उसके रिसानो सुशीलादेवी, मदनमोहन, मुकेश, राजेश, आशा ने बिना कब्जे के बिना प्रतिफल के प्रतिवादीगण न0 ता 4 को जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र गलत रूप से विक्रय कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड विकयपत्र के न्सिलेशन की वादी द्वारा सक्षम न्यायालय मे अलग से कार्यवाही की जा रही है। उक्त आराजी पर मौके र बहामी बटवारा कर रखा है, जिसमे वादी ने अपने 4/9 हिस्सो की तथा पूर्व खातेदार शिम्भूदयाल से जरिये इकरारनामा खरीद की गई 1/9 हिस्से की डौल मेड कर रखी है और मौके पर काबिज चले आ रहे है, लेकिन वादी एवं प्रतिवादीगण न0 1 ता 4 के मध्य आये दिन डोलमेड पर विवाद बना रहता है और विधिवत बटवारा नही होने के कारण प्रतिवादी न0 2 ता 4 ने पूर्व खातेदार कान्ता देवी गुड्डू, सुनील के 1/18 हिस्से को खरीदी गई जमीन पर कब्जा नही होने के कारण विवाद बना रहता है। बॉका दिनांक 22. 2.18 का है कि वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा कराने हेतु तहसील मे चलने को कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण न0 1 ता 4 ने धमकी दी कि तुम जो शिम्भूदयाल के 1/9 हिस्से पर काबिज हो उस जमीन को खाली कर दो तो हम तुम्हारे हिस्से व उक्त आराजीयात को किसी लट्ठ वाले व्यक्ति को विकय कर देगे। वादी ने ऐसा नही करने को कहा तथा प्रतिवादी न0 2 ता 4 ने कहा कि हमने पूर्व खातेदार कान्ता देवी पत्नि देवीसहाय, गुड्डू, सुनील पि0 देवीसहाय से खरीद की गई 1/18 हिस्से की जमीन को तुम्हारे कब्जे की भूमि पर हम कब्जा करेगे, क्योकि हमारे डन्डे मे ताकत है या फिर तुम्हारे कब्जे की आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर देगे। क्योकि अभी उक्त भूमि का बटवारा नही हुआ है वादी ने ऐसा अन्याय नही करने का निवेदन किया

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

तिवादीगण मानने को तैयार नही हुये। इसलिये दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत तकास्मा
ी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत तकास्मा आराजीयात डिक्री की जावे कि ग्राम
स्थित आराजीयात ख0न0 544/1.02, 545/0.04 किस्म गै0मु0 कुंआ, 546/1.56 कुल किता 3 कुल
.62 है0 मे वादी के 1/9 हिस्से का तकास्मा कराये जाने बावत बटवारा स्कीम तलब फरमायी जावे।
तिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से की भूमि व कब्जे की
बेदखल नही करे नाही किसी से अन्य से बेदखल करावे। एवं शांति पूर्वक काश्त करने दे तथा
के उपयोग उपभोग मे बाधा नही पहुचाये।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0
3 बावजूद सूचना उपरिथत नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कायवाही की गई। प्रतिवादी न0 1
की ओर से वकील ने उपरिथत होकर जबाव पेश किया कि ग्राम बैरोज स्थित आराजी ख0न0
/1.02, 545/0.04, 546/1.56 कुल किता 3 कुल रकवा 2.62 है0 मे वादी द्वारा समस्त कथन
न्त है, वादी का शिम्भूदयाल की जमीन से कोई सरोकार नही है नाही इसका कब्जा है। नाही कोई
रनामा वादी के हक मे लिखा है। शिम्भूदयाल की मृत्यु के पश्चात वारिसान सुशीला, मदनमोहन,
ा, राजेश, आशा के नाम नामांतकरण खुल गया। सुशीला, मदनमोहन, राजेश व आशा ने अपना हिस्सा
ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ओमप्रकाश के हक मे दिनांक 17.10.16 को पंजीबद्व करवादिया। तथा मुकेश
अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सुरेशचन्द, राजेन्द्र कुमार, महेश को संभलादिया तथा आज
दंदार काबिज है तथा काश्त कर रहे है। इसलिये वादी का दावा चलने योग्य नही है। खारिज
माया जावे। जब शिम्भूदयाल वाली जमीन से वादी का कोई संबध नही है तथा प्रतिवादी न0 2 ता 4
ा अपनी सम्पूर्ण खरीदशुदा भूमि पर काबिज है। वादी का यह कथन बिल्कुल गलत है कि प्रतिवादी न0
ता 4 कान्तादेवी, गुड्डू, सुशील के हिस्से की जमीन पर कब्जा नही हो, बल्कि प्रतिवादीगण न0 1 ता 4
अपने सम्पूर्ण हिस्से तथा खरीदशुदा सम्पूर्ण भूमि पर काबिज है। एवं काश्त कर रहे है। आराजीयात
वादग्रस्त पर वादी का कब्जा काश्त नही है दावा खारिज फरमाया जावे। तथा उक्त विवादित आराजीयात
प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 2/15 एवं प्रतिवादी न0 2,3,4, बहिस्सा 1/5 के खातेदार काश्तकार है अपने
हिस्से पर काबिज है। अपने हिस्से की अलग-अलग खातेदारी कराने के हकदार है। अतः काउन्टर क्लेम
पेश कर निवेदन है कि आराजी ख0न0 544, 545, 546 कुल किता 3 कुल रकवा 2.62 है0 ग्राम बैरोज मे
प्रतिवादी न0 1 ता 4 के कब्जे व हिस्सेअनुसार प्राथमिक डिक्री कर बटवारा स्कीम मगवाई जावे।

वकील उभयपक्ष ने कथन किया कि यह दावा तकास्मा से संबधित है। तनकीयात कायम करने
की आवश्यकता नही है। वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 4 का मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी अलग-अलग खाता
कायम कराने हेतु दावा मय काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिकी कर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे।

वकील उभयपक्षकारान की सहमति से दावा मय काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिकी कर
तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से दिनांक 22.01.
2020 को तैयार की गई बटवारा स्कीम उनके पत्रांकः- 249 दिनांक 27.1.2020 से प्राप्त हुई। बटवारा स्कीम
का अवलोकन कर प्रतिवादी वकील ने आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पक्षकारान को नोटिस दिये
बिना बखिलाफ मौका कब्जा तैयार की गई है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बटवारा स्कीम मंसूख
फरमाकर पुनः बटवारा स्कीम मौके पर कब्जे व हिस्सेनुसार मगवाई जावे। इस प्रार्थना पत्र का वादी वकील
ने जबाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस करने का कथन किया। आपत्ति प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष
की बहस सुनी गई। बहस सुनकर पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो एवं बटवारा स्कीम का अवलोकन किया
गया। आपत्ति प्रार्थना पत्र बटवारा स्कीम स्वीकार किया जाना उचित पाने से बटवारा स्कीम दिनांक 22.01.
2020 निरस्त की गई। पक्षकारान को मौके पर दिनांक 5.2.2020 को उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया गया
तथा तहसीलदार टोडाभीम को पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः बटवारा स्कीम तैयार कर भिजवाने के
निर्देश दिये गये। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 5.2.2020 को तैयार की गई बटवारा स्कीम पुनः पेश
की गई।

पुनः प्रस्तुत की गई बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्षकारान ने अवलोकन किया। प्रतिवादी
वकील ने पुनः आपत्ति प्रार्थना पत्र बटवारा स्कीम पेश किया कि किसी भी प्रकार की तब्दीली व जॉच नही
करके पुनः वही बटवारा स्कीम प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण को बटवारा स्कीम मे ख0न0 546/2/0.13 है0,
हिस्सा दिया है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज नही है। प्रतिवादीगण को ख0न0 546 मे रकवा 0.35 है0 के
स्थान पर रकवा 0.48 दिया जाना चाहिये। इसलिये बटवारा स्कीम निरस्त फरमाई जावे। वादी वकील ने
आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया कि मौके पर कमीश्नर महोदय द्वारा पूरी जॉच पडताल कर
वादी एवं प्रतिवादीगणो का मुताबिक कब्जा व मुताबिक हिस्सानुसार ही मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मुताबिक
कब्जा ख0न0 546 एवं 544 की रिपोर्ट सही प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 को ख0न0 546 रकवा 0.

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

546/02/0.13 है0 सही दर्ज किये है। प्रतिवादीगण का यह कहना भी गलत है कि कमीश्नर द्वारा नापतोल नही की है। बल्कि जिन पक्षकारो का जहॉ–जहॉ जितना कब्जा है कब्जे के अनुसार तैयार की गई है। कमीश्नर महोदय ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रतिवादी न0 1 ता 4 का मौके पर नही है बल्कि प्रतिवादी न0 5 का कब्जा है जिसकी पूर्ति हेतु 13 ऐयर जमीन का अलग नम्बर त कर कमीश्नर महोदय ने बटवारा स्कीम प्रस्तुत की है। जो बिल्कुल सही है। प्रार्थना पत्र आपत्ति । स्कीम खारिज फरमाते हुये मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिकी किया जावे। इस आपत्ति पत्र पर वकील उभयपक्ष की दलीले सुनी गई। प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को ते हुये बटवारा स्कीम खारिज करने का निवेदन किया तथा वादी वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराते हुये बटवारा स्कीम को मौका कब्जाअनुसार सही बताते हुये आपत्ति प्रार्थना पत्र ज करने एवं मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिकी करने का कथन किया।

आपत्ति प्रार्थना पत्र बटवारा स्कीम पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर मनन किया तथा वेजो के साथ बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण मे प्रथम बटवारा स्कीम पर प्रस्तुत त्ति प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये तहसीलदार टोडाभीम को पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः रा स्कीम तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। बटवारा स्कीम पर उल्लेख किया है कि वादी प्रतिवादीगण की उपस्थिति मे बटवारा स्कीम तैयार की गई, वादी एवं प्रतिवादीगण जहॉ–जहॉ काश्त रहे है उसी अनुरूप बटवारा स्कीम तैयार की गई है, केवल बटवारा स्कीम मे अंकित ख0न0 546/2 ा 0.13 है0 प्रविवादी न0 5 कम्पूरी देवी पत्नि प्यारेलाल मीना का कब्जा काश्त है। जबकि प्रतिवादी न0 ा 4 का मौके पर 0.13 है0 भूमि कम काश्त है इसलिये बटवारा स्कीम मे ख0न0 546/2/0.13 है0 वादी न0 1 ता 4 को दिया गया है। इस प्रकार तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत की गई इस बटवारा म दिनांक 5.2.2020 हिस्सा व कब्जानुसार सही रूपेण तैयार की गई है। जिसे खारिज किये जाने का ई उचित कारण प्रतीत नही होता है। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बटवारा स्कीम खारिज किया ना उचित पाता हूँ। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम खारिज किया जाता है। एवं बटवारा स्कीम नांक 5.2.2020 के अनुसार दावा फाईनल डिकी किया जाता है।

अतः वादी सतीशचन्द पुत्र मांगीलाल जाति महाजन निवासी बैरोज राहिन बी.ओ.बी. शाखा लघाट को ग्राम बैरोज की आराजी ख0न0 544/0.64, 546/1/0.51 कुल किता 2 कुल रकवा 1.15 है0 ा, प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र कल्याण प्रसाद हिस्सा 2/5 राहिन पी.एन.बी. शाखा टोडाभीम, महेशचन्द, जेन्द्र कुमार, सुरेश चन्द पि0 कल्याण प्रसाद हिस्सा 3/5 जाति महाजन निवासी बेरोज को ख0न0 44/1/0.38, 546/0.35, 546/2/0.13 कुल किता 3 कुल रकवा 0.86 है0 का, प्रतिवादी कम्पूरी देवी त्नि प्यारेलाल जाति मीना निवासी बैरोज राहिन बी.आर.के.जी.बी शाखा पदमपुरा को ख0न0 546/3/0.57 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा ओम प्रकाश पुत्र कल्याण प्रसाद हिस्सा 2/15, हलाद पुत्र कजोडमल हिस्सा 2/9, महेशचन्द, राजेश कुमार पि0 कल्याण प्रसाद हिस्सा 2/15, सुरेश चन्द पुत्र कल्याण प्रसाद हिस्सा 1/15, सतीश चन्द पुत्र मांगीलाल हिस्सा 4/9 को ख0न0 545/0.04 कि0जी0प0 चाह का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रबन्द किया जोबा है कि वादी के कब्जेकाश्त की आराजीयात मे मजाहमत–मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

11/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:22:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: